Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

फैसला आपका दिनॉक – 9.10.2014

मित्रों सहयोग के लिए बहुत – बहुत धन्यवाद ।

आप को जानकार खुशी होगी की फीस कमेटी ने आपके पत्रों का जवाब देना शुरू कर दिया है । जयपुर एवं राजस्थान की कुछ संस्थाओं को ईमेल द्वारा जवाब दिया गया है जो नीचे संलग्न किया जा रहा है ।

दोस्तो निश्चित रूप से सबके लिए यह परीक्षा की घडी है कि कितने लोग स्वयं पर विश्वास करते है और कितने लोग दूसरो पर .....

मै आपसे व्यक्तिगत रूप से यह विश्वास दिलाना चाहता हुँ कि जिन लोगो ने हमारे विश्वास के आधार पर कानूनी तरीके से पत्राचार किया है यदि उनके साथ कोई भी परेशानी आती है तो हम अपने खर्चे पर उसका केस लडेगे एवं उसको न्याय दिलायेगे ।

दोस्तो सरकार अपना काम कर रही है एवं हम अपना काम कर रहे है । शिवकुमार जी क्या बयान दे रहे है हमको उनकी चिन्ता नही करनी चाहिए क्योकि वो अपना काम कर रहे है –

जो लोग पोर्टल नही भर रहे है उनके साथ अधिकतम क्या हो सकता है जरा देख ले एवं फिर निश्चिंत हो कर अपना फैसला ले ––

1. माननीय शिवकुमार जी केवल मान्यता निरस्त करने की शिफारिश कर सकते है निरस्त करने के पावर उनके पास नही ।
2. फीस कमेटी के कार्य को हाईकोर्ट मॉनीटर कर रहा है – तो वे ज्यादा से ज्यादा कोर्ट मे लिस्ट पेश कर सकते है कि इन स्कूलों ने सूचना नही दी ।
3. कोर्ट उनसे पूछेगा कि क्यों नही दी तो उनको बताना तो पडेगा कि उन्होने पत्र लिखा था , मेने जवाब दिया था, फिर भी नही दी ।
4. दोस्तो पहली बात तो उन्होने जवाब किसको दिया है दिया है इसका पता उनके पत्र को पढ कर नही लगता क्योकि हमने उनको हमारे रजिस्टर्ड एडी से पत्र लिखा था तो उनको हमारी संस्था को संबोधित करते हुए जवाब लिखना था लेकिन उन्होने ऐसा नही किया जो कानूनी रूप से कोर्ट मे उनको ही फाल्ट कर देगा एवं उनकी कार्यवाही का स्टे हम ले आयेगे ।

5. माना स्टे नही भी मिला तो कोर्ट हमे नोटिस जारी करने के लिए सरकार को या स्वयं जारी करेगा .... तो हम जवाब मे हमारे लिखे पत्र का जवाब नही आने का कारण बता देगे । क्या होगा कुछ नही ... कोर्ट फीस कमेटी को हमारे पत्र का जवाद देने एव हमे सूचना देने के अलावा कोई आदेश दे ही नही सकती है ।
6. मानलो उन्होने सरकार को मान्यता समाप्त करने की सिफारिश कर भी दी तो सरकार बिना कारण बताओं नाटिस के किसी भी संस्था की मान्यता समाप्त नही कर सकती है नोटिस का जवाब तो आप जानते ही हो कि उन्होने हमारे पत्र का जवाब नही दिया ।

हम सूचना नही देने की लडाई लड रहे हे वह कानूनी है अथवा गैर कानूनी

फीस एक्ट राजस्थान मे 1.8.13 से लागु हुआ जिसकी धारा 13 मे लिखा हुआ है कि यदि यह किसी अन्य एक्ट से टकराव की स्थिति मे हो तो यह उसके समतुल्य होगा ।

दोस्तो मान्यता वाला 1989 अधिनियम अध्यारोही प्रवृति का है अर्थात उसकी धारा – 8 के नियम 40 मे लिखा है कि यह एक्ट अन्य एक्ट से टकराव मे हुआ तो इसको ही माना जायेगा चाहे इसकी बात असंगत ही क्यों ना हो ।

Shikshaparivar.com

इसी एक्ट की धारा 15 मे साफ – साफ लिखा है कि कठिनाई आने पर लागू होने के दो वर्ष की मियाद मे ही इसमे संशोधन किया जा सकता है ।

अब आप स्वयं ही सोचे कि हम गलती कहॉ कर रहे है दो वर्ष तक संशोधन की मॉग जायज है सो सूचना नही दे कर संशोधन की मॉग पत्र लिख रहे है एवं दोनो एक्ट की विसंगतियों के बारे मे बता कर फीस कमेटी से मार्गदर्शन मॉग रहे है । यदि दोनो एक्टों मे विसंगति नही होती तो फीस कमेटी एक दिन मे जवाब दे देती जैसे उन्होने सामवेदी जी के पत्र का जवाब दिया लेकिन हमारे पत्र का जवाद देने मे एक माह लग गया फिर भी जवाद गोल मोल ही दिया है इसका मतलब विसंगति है । अब विसंगति क्या है वो हम आपको सूबतों के साथ लिख कर दे रहे है । आप अपने जानकार वकील साहब से चैक करवा ले । यदि वो कह दे कि नुकसान हो

जायेगा तो पोर्टल भर देना वरना अपनी संस्था की स्वायतता के लिए लडना जरूर कायर मत बनना । अनिल शर्मा

यदि किसी भी संस्था ने फीस कमेटी को पत्र लिखा हो ओर उसके पास किसी भी माध्यम से जवाब आया हो तो वह उन्हे अपने लैटर हैड पर यह पत्र लिख कर दे देवे । जवाब आने का इंतजार करे ... हमारा वादा है आपकी संस्था का कोई कुछ नही बिगाड पायेगा ।

आप लगभग रोज इस वेबसाईट को देखते रहे –

हमने 190 केस तैयार कर लिये है तथा हाईकोर्ट मे वर्तमान मे फीस मैटर को लेकर चल रहे सभी केसो मे पार्टी बन कर जवाब देने का फैसला कर लिया है । आपसे कुछ नही लेगे ।

इसे आप हमारा जनून कह ले या अपनी संस्थाओं के प्रति वफादारी

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

आज आपको अगले पेज पर क्या – क्या मिलेगा ।

1. फीस कमेटी के अध्यक्ष ने दिनॉक 29.9.2014 को एक आदेश जारी कर विभिन्न स्कूलो अर्थात हम सबके द्वारा लिखे गये पत्रो का जवाब दिया है

2. हमे फीस कमेटी के लैटर का जवाब फीस कमेटी को क्या देना है –

3. जो सवाल हम फीस कमेटी से पूछ रहे है उसके पीछे क्या कानूनी दस्तावेज है वो हम सबूत के तौर पर आप सब के सामने रख रहे है यह दस्तावेज दिनॉक 10.10.14 तक उपलब्ध होगे ।

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

फीस निर्धारण कमेटी,

शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग,

जयपुर –

विषय – आवश्यक विसंगतियों पर बिन्दूवार मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत निवेदन ताकि आपके द्वारा चाही गई सूचना पोर्टल पर भरी जा सके ।

प्रसंग – आपके पत्र क्रमांक 1538 दिनॉक 29.9.14 के द्वारा अधूरा जवाब दिया जाने के कारण ।

महोदय,

कृप्या पत्र का अवलोकन फरमावे – (संलग्न – 1.)

उपरोक्त संलगन पत्र के माध्यम से संस्था ने आपसे निम्नांकित विसंगतियों के बारे मे निम्न तथ्यों पर मार्गदर्शन चाहा था –परन्तु आप के संलग्न पत्र द्वारा दिया गया जवाब विसंगतियों के निराकरण मे पर्याप्त नही है । अवलोकन फरमावे संलगन – 2

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

1. रीजनेबल फीस वृद्वि के सम्बन्ध मे जारी पत्र 1.6.2009 को आपने स्वत : ही निरस्त की श्रेणी मे रखा है –– कृप्या अदेश पत्र का अवलोकन फरमावे –– संलग्न न0 – 3

उपरोक्त पत्र को स्वत : ही निरस्त मानने से क्या इस आदेश पत्र के प्रथम पेरा....राजस्थान गैर सरकारी .....राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो तक मे लिखे अधिनियम 1989 की धाराऍ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता नियम, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता नियम, अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्ते तथा उनके तहत हमारे अब तक दिये गए समस्त शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज निरस्त की श्रेणी मे माने जायेगे अथवा लागू रहेगें ?

2. यदि हॉ तो क्या उक्त एक्ट के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार के अब तक दिए गए आदेशो व सरकार के निर्देश पर हमारे द्वारा दिये गऐ शपथ पत्रों को निरस्त माना जावे ?
3. यदि नही तो –जब तक वे एक्ट लागू है तब तक उनके तहत निकाले आदेश कैसे स्वत : ही निरस्त माने जा सकते है ? कारण स्पष्ट करावे ।

4. इसी आदेश के बिन्दू संख्या 9 मे लिखे निर्देश –– के तहत हमारी संस्था ने जिन विधार्थियों को 5 से 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान कर रखी है । क्या ऐसे छात्र की फीस मे छूट आगे भी जारी रहेगी ? यदि नही तो क्या यह उनके साथ धोखा– धडी की श्रेणी मे नही आयेगी ? और यदि उनको यही छूट जारी रही तो छूट की वजह से हो रही फीस की भरपाई कौन करेगे ?
5. इसी आदेश के बिन्दू न0 10 मे पेरेन्टस– टीचर्स एसोसियेशन को भी निरस्त माना जावे
6. इसी आदेश क बिन्दू सं0 17 मे प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारो को प्रषित होने वाली सूचना अब देनी अथवा नही देनी है ? क्योकि आपक के अनुसार आदेश तो निरस्त हो गया है ।

7.फीस एक्ट लागू होने के बाद प्रमुख शासन सचिव द्वारा जारी पत्र 14.11.2014 ,द्वारा मॉगी गई सूचना मे मिडिल तक 24,000 वार्षिक एवं सीनियर सैकेण्डरी तक 30,000 वार्षिक की फीस की सीमा किस आधार पर तय की गई ? कोई आधार नही था तो 24,000 व 30,000 ही क्यूँ अन्य राशि क्यूँ नही ? संलग्न – 4

.....

7. आप की अध्यक्षता मे गठित फीस कमेटी द्वारा मुनाफाखोरी न करने के शपथ पत्र मे जिन तथ्यों को आपने मुनाफाखोरी की श्रेणी मे रख , संस्था से शपथ पत्र मॉगा था, क्या वह शपथ पत्र अब निरस्त मान लिया जाये ? संलग्न – 5
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव एवं सदस्य सचिव निजि शिक्षण संस्थाएँ फीस निर्धारण समिति के आदेश क्रमाक 2014 / 14 दिनॉक 24.1.2014 द्वारा आपके ही प्रपत्रो के प्रारूप मे मॉगी गई सूचना क्या अब निरस्त मानी जावे ? यदि हॉ तो अब क्या गारन्टी है कि अब आपके द्वारा जो सूचना पोर्टल पर मॉगी जा रही है उसे आप निरस्त नही मानेगे ? आपको नियमों की जानकारी नही थी अथवा आपने जान बूझ कर ऐसा किया । आप को हमारी संस्था द्वारा सूचना नही भेजने का एक कारण यह भी है । संलग्न – 6
9. आप द्वारा सीए के हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर करवाने के पीछे कोनसा उददेश्य था एवं उस आदेश की प्रतिलिपि संलग्न कर भिजवाने का कष्ट करावे जिसमे ऐसा प्रावधान है। क्या आप जैसे रिटायर्ड हाईकोर्ट जज **से नैसर्गिक –न्याय के नियमों के उल्लधन की अपेक्षा की जा सकती है ? और यदि न्याययिक रूप से प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर उचित है तो फिर आपने शिथलन क्यों दी ? संलग्न – 7**
10. **आप द्वारा 21,254 विधालयों की फीस अवधारित करने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से जनता मे दी जिसे समाचार पत्रो ने अवधारित के बजाए निर्धारत लिखा एवं अभिभावको ने फीस देने से इंकार कर दिया एवं कई जगह जिला शिक्षा अधिकारी ने रोक लगा दी – यह क्या नैसिर्गिक न्याय के नियमों का उल्लघन नही है ? जबकि आप फीस**

A Portal with Education Portal

निर्धारित होने तक किसी के फीस चार्ज करने या बढाने पर रोक नही लगा सकते ?
हमारी संस्था मे फीस नही आने से हुई परेशानी के लिए कौन जिम्मेवार होगा ?
इसी क्रम मे नियमानुसार आपको नोटिस भिजवाना था लेकिन अधिकारियों ने नोटिस नही भिजवा कर अपने पद के दुरूप्योग करते हुए पोर्टल की सूचना को ही नोटिस के रूप मे अपने कार्यालयों मे बुला कर हस्ताक्षर करवा लिए जिससे संस्थाओं मे असमंजस की स्थिति बनी और वे आपत्ति तक नही कर पाये जो नियमानुसार उनका हक था ?

क्या आप ऐसी संस्थाओं के साथ न्याय करते हुए उनको सुनवाई का मौका देंगें ?

क्या आप ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही की सिफारिश की हिम्मत दिखायेगें ?

संलग्न – 7 ए व 8

11. हमारी संस्था राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम ,1989 की धारा 3 सहपठित राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5(i) तथा उसके अन्तर्गत परिशिश्ट – 2 की क्रम संख्या – 7 के अनुसार मान्यता प्राप्त है । मान्यता प्राप्त विधालयों मे वेतनमान अनुच्छेद 39 (d) और 226 राज. गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम , 1989 धारा 4 ओर 5 समान कार्य हेतु समान वेतन देने के प्रावधान से वचन बद्व है लेकिन संस्थाएँ यथा संभव प्रयास करती है कि इस नियम का पालन हो ।

यह अण्डरटेकिग हमने मान्यता के समय इसलिए दी थी कि हमे उस वक्त अपनी संस्थाओं मे फीस तय करने का अधिकार था तथा हमने अपने आगे के प्लान के अनुसार अण्डरटेकिग दे दी । अब आप स्पष्ट करे कि यदि आप हमारी फीस निर्धारण करेगें तो हम अण्डरटेकिंग मे किया गया वादा कभी पूरा नही कर पायेगें । या तो आप हमारी अण्डरटेकिंग वापस करवावे अथवा फीस निर्धारण से मुक्त करावे । जिस तरह हमारी संस्था पर फीस एक्ट लागू है उसी प्रकार हमारी संस्था पर 1989 अधिनियम भी लागू है ? आप स्पष्ट कर कि हम कौनसा अधिनियम माने? संलग्न – 9

12. जबकि 1989 अधिनियम की धारा 8 के 40 वे बिन्दू पर इसे अध्यारोही बताया गया है एवं फीस एक्ट की धारा 13 मे इसे समतुल्य बताया गया है । हमारी जानकारी के लिए कृप्या यह बताने का कष्ट करावे कि अध्यारोही अधिनियम के प्रावधानों को फीस एक्ट के प्रावधान कैसे निरस्त कर सकते है ? कौनसा अधिनियम बडा है तो क्यो है ? ओर समतुल्य है तो क्यों है ? संलग्न – 10, 11

13. भारतीय संसद द्वारा पास अधिनियम आरटीई 2009 के नियम 8 – क के उप –नियम (1) और (2) का अवलोकन फरमावे जिसके के तहत प्रत्येक संस्था को पुन : मान्यता लेनी होती है जिसके लिए विधालय की मान्यता की मंजूरी के लिए स्वत : घोषणा एवं आवदेन करना होता है – बिन्दू संख्या (ट) के अनुसार मान्यता की शर्तो को पूरी करने के

पालन करने का वचन देना होता है । यह वचन हमने उस वक्त के अधिनियम के तहत मिली फीस तय करने की हमारी स्वायतता के आधार पर दिया था ।

अब आप द्वारा फीस तय करने अधिकारी अपने पास लेने से हम अपने वचन का पालन नही कर पायेगे । अत : आप हमारी स्वत : घोषणा के पत्र को वापस करवाये अथवा फीस निर्धारण हमे ही करने देवे । स्पष्ट करे कि आप क्या करेगे । संलग्न – 12

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटपिटिशन न0 95 / 2010 के निर्णय दिनॉक 12.4. .2012 के पेज न0 58 के पेरा न0 22 व पेज न0 59 पर लिखे तथ्यों पर गौर फरमावे , कृप्या यह अवगत कराने का श्रम करावे कि इस निर्णय मे सुप्रीम कोर्ट जिस मैक्जिम स्वायतता की बात करता है क्या वह आपके फीस निर्धारण करने से कायम रह पायेगी ? संलग्न –13

15. क्या संविधान के आरटीकल 19**(1) (g)** के तहत मिले हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन आप द्वारा फीस तय करके नही किया जा रहा है । रीजनेबल फीस तय करने के हमारे अधिकार को आप छीन नही रहे क्या ? रीजनेबल फीस क्या होनी चाहिए बताएँ ? हमारी संस्था रीजनेबल फीस ही ले रही है यदि आपको शिकायत मिलती तो आप कह सकते थे कि रीजनेबल नही ?

संलग्न न0 14

16. क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय 16.4.2014 मे स्पष्ट रूप से एक अभिभावक की शिकायत के बजाए उस संस्था की पैरेन्टस एसोसियेशन की शिकायत की बात कही है तो किसी भी एक अभिभावक की शिकायत पर कार्यवाही कर संस्था को निर्देश देना क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नही है ? संलगन – न0 15

17. चूँकि यह एक्ट मुनाफाखोरी रोकने के लिए लाया गया था – आप कृप्या यह स्पष्ट करावे कि मुनाफाखोरी किसे कहते है ? रीजनेबल फीस किसे कहते है ?

18. माननीय सुप्रीम कोर्ट का गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के सन्दर्भ मे दिए निर्णय के मुख्य पार्ट का अवलोकन फरमावे ––

> " इस तरह की संस्थाओं की स्थापना को नियंत्रित किया जा सकता है साथ ही यह भी माना गया है कि इनको नियंत्रित करने का उददेश्य अच्छा शैक्षिक वातावरण बनाए रखना, अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने व कुप्रशासन को रोकना होना चाहिए । साथ ही यह कहा गया है कि कोई **Rigid Fees Structure** प्राविधित नही किया जाना चाहिए"

आप द्वारा फीस निर्धारण के लिए जो सोफटवेयर बनाया गया है क्या वह इस आदेश का उल्लधन नही है ? क्या सोफटवेयर से तय किया जाने वाला फीस **Rigid Fees Structure** की श्रेणी मे नही आती ? यदि **Rigid Fees Structure** तय करना हो तो फिर कैसे करे ? कृप्या स्पष्ट करावे ।

आप न्यायविद है एवं आप से हम निर्णय नही न्याय की उम्मीद करते है यह सर्वमान्य सत्य है कि जिस वक्त किसी भी संस्था को मान्यता दी जावे उस वक्त के नियमों की पालना के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है क्योकि उसने उन नियमों के आधार पर ही आवेदन किया एवं मान्यता प्राप्त की ।

अब क्योकि फीस एक्ट 2013 मे आया है एवं उसके प्रावधान हमारी स्वायतता पर सीधे–सीधे प्रश्न चिन्ह लगाते है एवं बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने निर्णय मे स्पष्ट रूप से ऐसे संस्थानों की फीस नही तय करने के बारे मे कहा है ।

देश के केवल एक स्टेट मे यह एक्ट है जहॉ भी आप देखेगें तो कोर्ट केसेज की बाड सी आई हुई है एवं कई संस्थाएँ विगत तीन वर्षो मे बंद हो गई है तथा नये संस्थानों ने मान्यता के लिए आवेदन करना बंद कर दिया है ।

हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते है क्योकि हमने पूर्व के नियमों के तहत कुछ ऐसे शपथ पत्र सरकार को दे रखे है जिन्हे हमने इस आशा मे दे दिए कि हम आगे के वर्षो मे अपने फीस के आधार पर पूरा कर लेगें । लेकिन जिस तरह की फीस का निर्धारण आप द्वारा किया जा रहा है उससे नही लगता की कभी पूरा कर पायेगे । ऐसी स्थिति मे संस्था आगे कोई भी निर्णय बिना पूर्ण जानकारी के नही करेगी ताकि विसंगतियों से बचा जा सके ।

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

साथ ही संस्था आपसे बिन्दूवार स्पष्टीकरण की प्रार्थना इस लिए भी कर रही है क्योकि अब नये नियमों एवं प्रावधानों के तहत संस्था चलाने अथवा नही चलाने का निर्णय किया जाना है । यदि संस्था चलाई जानी है तो आपको सूचना दे दी जायेगी अन्यथा राज्यसरकार को मान्यता सम्पर्ण कर आपको उसकी एक सूचना दे दी जायेगी

आशा है संस्था की गरिमा का ध्यान रखते हुए आप जवाब दिलवाना सुनिश्चित करेगे यदि आपको लगता है कि इन सवालों का जवाब हमे किसी और से लेना है तो कृप्या आप अवगत करावे कि किससे लेना है ।

इस पत्र के जवाब प्राप्त होने तक पोर्टल पर सूचना नही देने के के लिए संस्था क्षमा प्रार्थी है ।

सचिव

कार्यालय अध्यक्ष राजस्थान निजी शिक्षण संस्थाएँ फीस निर्धारण समिति,
राजीव गॉधी विधा भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल, जयपुर

क्रमांक – काअ/सनिशिस/निजी/आदेश/2014/1538 दिनॉक 29.9.2014

आदेश

विभिन्न निजी विधालयों ने राज्य सरकार के पत्र दिनॉक 01.6.2009 एवं दिनॉक 14.11.2013 के सन्दर्भ मे समिति के अध्यक्ष महोदय को पत्र लिख कर समस्याओं के निराकरण हेतु अनुरोध किया है ।

राजस्थान विधालय (फीस के संग्रहण का विनियमन)अधिनियम 2013 दिनॉक 01.8.2013 से लागू हो चुका है , इसलिए राज्य सरकार का पूर्व पत्र दिनॉक 1.6.2009 स्वत : ही प्रभावहीन हो गया है । एक अन्य पत्र दिनॉक 14.11.2013 द्वारा सभी विद्यालयों से फीस निर्धारण हेतु सूचना चाही गई थी । अत : उपरोक्त विवेचन के अनुसार पत्रो मे उल्लेखित समस्याओं का निराकरण करते हुए निर्देशित किया जाता है कि फीस निधारण हेतु समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्रों मे ऑन लाईन सूचना दिनॉक 10.10.2014 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे ।

Shikshaparivar.com
A Portal with Education Total

अत : सचित रहे ।

–Sd-
(एम.पी.वर्मा)
सयुक्त शासन सचिव (प्राशि)एवं पदेन सदस्य सचिव
निजी शिक्षण संस्थाएँ फीस निर्धारण समिति,
शिक्षा संकुल , जयपुर